

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA



एस.जी.-डी.एल.-अ.-29052021-227241
SG-DL-E-29052021-227241

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 150]	दिल्ली, शुक्रवार, मई 28, 2021/ज्येष्ठ 7, 1943	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 36
No. 150]	DELHI, FRIDAY, MAY 28, 2021/JYAISTHA 7, 1943	[N. C. T. D. No. 36

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

कानून, न्याय एवं विधायी मामले विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 28 मई, 2021

सं.फा. 27/5/01—न्यायिक/अधी0एलएडब्ल्यू/425—429.—जनता की सामान्य जानकारी के लिए निम्न को एतद्वारा प्रकाशित किया गया है :—

दिल्ली विधिक सेवाएं प्राधिकरण नियमावली, 1996 के नियम 5 के उप-नियम (1) एवं दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधन) नियमावली, 2010 के नियम 3 के उप-नियम (5) के साथ पठित अद्यतन यथासंशोधित रूप में, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 6 (2) (सी) में निहित प्रावधानों के अनुसरण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण के पदेन सदस्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित सदस्यों के पुनः नामांकन कार्योत्तर को तत्काल प्रभाव से दिनांक 03.03.2018 से 02.03.2020 तक एवं आगे पुनः नामांकन दिनांक 03.03.2020 से 02.03.2022 तक की अवधि के लिए स्वीकृति प्रदान करते हैं :—

क्र० सं०	व्यक्ति का नाम	पता
1	डॉ० राजेश कुमार, कार्यपालक निदेशक, एसपीवाईएम	111, सैक्टर बी-4 के विपरीत, वसंत कुंज, नई दिल्ली-110070
2.	श्री सिद्धार्थ लूथरा भूतपूर्व अपर महा न्यायभिकर्ता	सी-2, डिफेन्स कॉलोनी, नई दिल्ली
3.	सुश्री भारती अली सह-संस्थापक एच ए क्यू (बाल अधिकार केंद्र)	बी-1/2, भू-तल, मालवीय नगर, नई दिल्ली-110017
4.	प्र० (डॉ०) जी.एस.बाजपेयी, पंजीयक, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय	सैक्टर-14, द्वारका, नई दिल्ली-110078
5.	प्र० (डॉ०) उषा टंडन प्रभारी प्रोफेसर, कैपस लॉ सैन्टर	कैपस लॉ सैन्टर, विधि संकाय, दिल्ली विश्वविद्यालय

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

संजय कुमार अग्रवाल, प्रधान सचिव (कानून, न्याय एवं विधायी मामले)

DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS

NOTIFICATION

Delhi, the 28th May, 2021

No. F.27/5/01-Judl./Suptlaw/425-429.—The following is hereby published for general information of the public: -

In pursuance of the provisions contained in Section 6 (2) (c) of Legal Service Authorities Act, 1987, as amended up to date, read with sub-rule (5) of rule 3 of Delhi Legal Service Authorities (Amendment) Rules, 2010 and sub-rule (1) of rule 5 of Delhi Legal Services Authority Rules, 1996, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, in consultation with the Chief Justice of the High Court of Delhi, is pleased to grant ex-post facto re-nomination of the following Members other than Ex-Officio members of the Delhi State Legal Services Authority, for the period w.e.f. 03.03.2018 to 02.03.2020 and further re-nominate w.e.f. 03.03.2020 to 02.03.2022:-

S. No.	Name of the person	Address
1	Dr. Rajesh Kumar, Executive Director, SPYM	111, Opp. Sector B-4, Vasant Kunj, New Delhi-110070
2	Sh. Sidharth Luthra, Ex. Addl. Solicitor General	C-2, Defence Colony, New Delhi
3	Ms. Bharti Ali, Co-founder HAQ (Centre for Child Rights)	B-1/2, Ground Floor, Malviya Nagar, New Delhi-110017
4	Prof. (Dr.) G.S. Bajpai, Registrar, National Law University	Sector-14, Dwarka, New Delhi-110078
5	Prof. (Dr.) Usha Tandon, Professor-in-Charge, Campus Law Centre	Campus Law Centre, Faculty of Law, University of Delhi

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

SANJAY KUMAR AGGARWAL, Pr. Secy. (Law, Justice & L.A.)